# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 02/2018/251–ए आरटीए

1. हरफुल
2. द्वारका प्रसाद } पुत्रगण रामदेव
3. श्रवण कुमार
4. भींवाराम पुत्र हनुमान
5. बनवारी लाल पुत्र दहड़ाराम
6. गणेश
7. मोती } पुत्रगण तुलछाराम
8. मंगला
9. सोहन } पुत्रगण नारायण

समस्त जाति कुमावत निवासीगण अजबपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–प्रार्थीगण

ब ना म

1. रामलाल
2. प्रभात } पुत्रगण गोविन्दा
3. श्रवण
4. चूंकली देवी पत्नि स्व0 गोविन्दाराम

समस्त जाति कुमावत निवासीगण अजबपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

5. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–अप्रार्थीगण

## आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

**उपस्थिति–**

1. श्री राजेन्द्रसिंह शेखावत वकील प्रार्थीगण की ओर सें।
2. श्री आनन्द राड वकील अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 4 की ओर से
3. शेष अप्रार्थीगणों के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

नि र्ण य दिनांक – 25.1.2021

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार सें है कि भूमि खसरा नम्बर 613 रकबा 0.35 है0 किता 1 कुल रकबा 0.35 है0 में से हम प्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 का हिस्सा 2/3 कब्जे, काश्त व खातेदीशुदा है जिसके हम रिकार्डेड काबिज खातेदार/काश्तकार है तथा आवेदकगण संख्या 5 ता 9 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 548, 549 में आने जाने हेतु आगे रास्ता खसरा

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

नम्बर 613 में से होता हुआ आवेदकगण संख्या 5 ता 9 की खातेदारी भूमियों तक जाता है। आवेदति रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 614 रकबा 0.36 है0 में से पूर्वी सीमा के सहारे उत्तर से दक्षिण होकर इसी खसरा नम्बर 614 में से बीचों बीच पूर्व से पश्चिम होता हुआ प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 613 तक 6 मीटर चौड़ा व 88 मीटर लम्बा एवं इससे आगे पूर्व दिशा की ओर रास्ता खसरा नम्बर 624 व खसरा नम्बर 621 में मिलता हुआ। प्रार्थीगण को अपने उक्त खेत खसरा नम्बर 613 रकबा 0.35 है0 वो ग्राम अजबपुरा में आने जाने के लिए अप्रार्थीगण की उपरोक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 614 रकबा 0.36 है0 में से पूर्वी सीमा के सहारे सहारे इसी खसरा नम्बर में से बीचों बीच पूर्व से पश्चिम 6 मीटर चौड़ा एंव 88 मीटर लम्बा आगे पूर्वी दिशा की तरफ रास्ता खसरा नम्बर 624 व खसरा नम्बर 621 में मिलता हुआ इस प्रकार कुल क्षेत्रफल 528 वर्गमीटर रास्ता चाहते है। चाहे गये रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है उक्त वर्णित कृषि भूमियों एक ही पटवार हल्का में है प्रार्थीगण को अपने खेत में पहुचने हेतु अप्रार्थीगण की भूमि में से बताये गये उपरोक्त विवरण के रास्ते की पूर्ण आवश्यकता है। उक्त रास्ते के बिना प्रार्थीगण अपने खातेदारी के उपयोग–उपभोग करने से पूर्णतया वंचित हो जायेगें। हम यह आवेदन हमारी खातेदारी भूमि के बेहतर उपयोग हेतु प्रस्तुत न करते हुए हमरी खातेदारी भूमि के उपयोग–उपभोग के लिए पहुचने बाबत् वांछनीय एकमात्र रास्ते के सम्बंध में आज्ञा प्रादन करने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

2. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं0 1, 2 व 4 की ओर से वकील श्री आनन्द राड़ हाजिर आये तथा शेष अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। उपतहसीलदार पलसाना सें रास्ते संबंधी तथ्यात्मक रिपोर्ट मय डीएलसी दर संबंधी विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त की गई। वकील अप्रार्थी ने आवेदन अंतर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का जवाब पेश किया। जिसमें कथन किया कि

उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ

आवेदन में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 613, 548, 549 में आने जोन हेतु उक्त आवदेन पेश किया है तथा आवेदकगण की भूमि खसरा नम्बर 548 के पश्चिम दिशा में सिर्फ 15–20 मीटर की दुरी पर ही कटानशुदा रास्ता राजस्व रिकार्ड में मौके पर अवस्थित है तथा आवेदकगण उस रास्ते से आकर ही अपनी भूमियो में बाजोत व फसल कटाने आदि मशीनरी ले जाते है। इन सभी तथ्यों को छुपाते हुये अनावेदकगण को हैरान परेशान काने के उद्देश्य से आवेदकगण ने उक्त कतई गतल व मनगढत आवेदन पेश किया है। जो प्रथम दृष्टया ही मय हर्जा खर्चा सहित खारिज होने योग्य है। आवेदन पर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया। उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एवं जबाव आवेदन व तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव दिनांक 21.09.2019 का अवलोकन किया गया। आवेदक द्वारा खसरा नम्बर 613 रकबा 0.3500 है0 भूमि हेतु पहुच मार्ग हेतु खसरा नम्बर सं0 614 रकबा 0.36 है0 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे इसी खसरा नम्बर में से बीचों–बीच पूर्व से पश्चिम (रास्ता) 6 मीटर चौड़ा एवं 88 मीटर लम्बा आगे पूर्वी दिशा की तरफ रास्ता खसरा नम्बर624 व खसरा नम्बर 621 (गैर मुमकिन रास्ता) में मिलता हुआ कुल क्षेत्रफल 528 वर्गमीटर रास्ते का अनुतोष चाहा है। राजस्थान काश्तकारी कानून की धारा 251–ए में काश्तकार के रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता की स्थिति में सबसे नजदीकी रिकार्डेड रास्ते से निकटतम रूट से रास्ता उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी की जोत हेतु कोई पहुच मार्ग नहीं होने से रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है। तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट 21.09.2019 द्वारा प्रार्थी को रास्ता उपलब्ध करवाने हेतु तीन वैकल्पिक रास्ते प्रस्तावित किये गये है। रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार खसरा नम्बर 613 के लिए सबसे निकटतम रास्ता खसरा नम्बर 614 के उत्तर में बिन्दु C तक रास्ते की दुरी करीब 68 मीटर है मगर प्रतिवादी/अप्रार्थी का मकान टीनशेड मध्य में आने एवं खसरा नम्बर 614 के दो टुकड़े हो रहे है। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट एवं राजस्व रिकार्ड के

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि खसरा संख्या 624 गैर मुमकिन चाह है जिसे रास्ता नहीं माना जा सकता है। अतः प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 614 से रास्ते का चाहा गया अनुतोष अप्रार्थी को खेत के दो टुकड़े होने एवं अप्रर्थी के टीनशेड से बनाये गये मकान रास्ते के बीच में आने एवं खसरा नम्बर 614 के बाद किसी भी गैर मुमकीन रास्ते से सीमा नहीं लगने एवं खसरा नम्बर 624 गैर मुमकिन चाह में से किसी भी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहने के कारण आवेदन खारिज किया जाता है। चुकि प्रार्थी को रास्ते को आत्यंधिक आवश्यकता है एवं तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट 21.09.2019 के द्वारा बिन्दु संख्या D एवं C के मध्य लगभग 275 मीटर लम्बे रास्ते का विकल्प सुझाया गया है लेकिन प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ते का अनुतोष नहीं चाहने एवं उक्त खसरा नम्बर के खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाने के कारण उक्त अनुतोष भी न्यायालय द्वारा प्रदान नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा बिन्दु संख्या C एवं D के मध्य अनुतोष चाहा जाता है तो प्रार्थी न्यायालय में इस हेतु नया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह आदेश आज दिनांक 25.11.2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामढ